

FORM No. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

वान रामलाल बनाम श्रीमिथारी वरुण
 मुकदमा नं० 136 R.L.R Act-3 मुकदमा नं० 8 सन् 2019

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
05/02/19	पहिल जर्जि श्री ववनीत प्रकाश शर्मा ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना पर 136 R.L.R Act पेश किया। प्रार्थना पर जर्जि रजिस्टर-दर किया जो कि अज्ञातगीत की तलबी जर्जि सम्मन की जाकर पचावली दिनांक 12/5/19 को पेश है।	
12-3-19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफा उप./अनुपस्थित। पीठरतीन अहिकारी बने /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-5-19 को पेश हो।	
27-5-19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफा उप./अनुपस्थित। पीठरतीन अहिकारी बने /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31-5-19 को पेश हो।	
31/5/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफा उप./अनुपस्थित। पीठरतीन अहिकारी बने /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-7-19 को पेश हो।	
22-7-19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिफा उप./अनुपस्थित। पीठरतीन अहिकारी बने /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16-10-19 को पेश हो।	
10/1/20	पचावली पेश हुई। वरुणा वरुणा प्रार्थी हाजिर। वदत हेतु निवेदन किया। वदत वरुणा प्रार्थी हुनी गयी। दाराके वदत	

बकील प्राणी के कथन कि राजस्थान ग्राम बस्ती के भूमि ख० न० 229 ता 239, 241 ता 254, 256 ता 262 कुल किता-32 रकबा 16.94 ई० के राजस्थान रिकार्ड में प्राणी का नाम रामनाथ पुत्र परसा गणत दर्ज है प्राणी के शैक्षणिक दस्तावेज व अन्य सभी दस्तावेजों में सही नाम रामलाल मंगोका पुत्र परसाराम मंगोका है अतः राजस्थान रिकार्ड में श्री रामलाल पुत्र परसाराम दुरुस्त कर दर्ज किया जावे।



बकील प्राणी की बहन सुनी गणी / पत्नी की व पत्नी पर उपरोक्त दस्तावेजों का अपलोडिंग किया गया। ^{उक्तानुसार} राजस्थान रिकार्ड में प्राणी का नाम रामनाथ पुत्र परसा दर्ज है जबकि प्राणी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 1996 के बोर्ड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा प्राणी की पत्नी की बैंक पासबुक में प्राणी का नाम रामलाल दर्ज है प्राणी द्वारा किये गये कथन उक्त दस्तावेजों के प्रमाणों से साबित होते हैं अतः प्राणी का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRACT स्वीकार भोग प्राप्त जाने पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

आदेश

भूमि ख० न० 229 से 239, 241 से 254, 256 ता 262 कुल-किता-32 कुल रकबा 16.94 ई० तब ग्राम-बस्ती परवार हल्का अमरापुर

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

तहसील खण्डेला जिला सीकर के राणस
बिक्रास के प्राचीन के गाम नाम "रामनाथ पुरु
परसा" के स्थान पर सही नाम "रामलाच
पुरु परसा" दुकत छिना जाके/ हुमातुकार
पाकना हेतु तहसीलदार खण्डेला को
तहरीर जारी हो। पत्रावली फंडाम शुमार
होकर नम्बर से कम हो बाद तहसील कार्यालय
दफतर हो।

मह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16-10-15 को
सुरे इजाजत सुनाया गया



Dr
16/10/15
(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)